न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/104/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/359

अपीलार्थी

श्री विष्णु चावडा
निवासी–50–51, शिव कॉलोनी, तिजारा फाटक,
अलवर–301001 (राज.)

बनाम

प्रत्यर्थी

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 22.08.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 12.09.2022

1. उभयपक्ष्स अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 06.07.2022 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अलवर जिला कलक्टर कार्यालय में प्रदर्शित बन्दुकें व तलवारों के संबंध में 01 लगायत 04 बिन्दुओं पर बिन्दुवार प्रमाणित सूचना प्रति चाही गई थी।
4. प्रत्यर्थी द्वारा उक्त सूचना आवेदन पर किसी प्रकार के विनिश्चय/सूचना से अपीलार्थी को अवगत नहीं कराए जाने के कारण इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से जरिये पत्र सं0 लो.सू.अ./प्रथम अपील/2022/2166 दिनांकः 25.08.2022, जिसकी प्रति अपीलार्थी को सूचना के साथ पृष्ठांकित की गई है, के माध्यम से जवाब प्रस्तुत किया गया।
7. प्राप्त जवाब मय संलग्नक दस्तावेजात् व अपील में उठाये गये तथ्यों का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा उनके क्षेत्राधीन संबंधित अनुभाग, प्रभारी अधिकारी (न्याय प्रकोष्ठ) एवं अति0 जिला कलक्टर (शहर) अलवर के पत्रांकः न्याय/2022/1121 दिनांकः 08.08.22 के माध्यम से प्राप्त सूचना, उनके पत्रांकः लो.सू.अ./RTI/2022/1931 दिनांकः 08.08.22 के माध्यम से **अभिलेख पर संधारण अनुसार** अपीलार्थी को भिजवाई जा चुकी है। अन्य विस्तृत जानकारी पुलिस अधीक्षक, अलवर कार्यालय से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
8. अस्तु, उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
9. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. आज दिनांकः 12.09.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)